राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

आदेश सं०: ....   पटना, दिनांक:...../12/2020

-:आदेश:-

विज्ञापन संख्या 05/2019 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन **District Consultant-QA** के संविदागत पदों पर प्रतीक्षासूची से चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	रौल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	चयनित कोटि	पदस्थापन जिला
1	2135978	BIDHU SHEKHAR	UR	नवादा
2	2166258	NEHA PRIYA	UR	किशनगंज
3	2135855	RAI BAHADUR	BC	शेखपुरा
4	2055779	VIKASH KUMAR GUPTA	MBC	सारण
5	2166115	VIDYA KUMARI	SC	अरवल
6	2055632	CHANDAN KUMAR RANJAN	SC	शिवहर
7	2135889	ANIL KUMAR SHARMA	ST	पूर्णिया

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

i. **दिनांक 18/12/2020 तक** अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

ii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा। योगदान के समय अपना सभी वांछित मूल प्रमाण-पत्र संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष समर्पित करेंगे, जहाँ सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी। जाँचोंपरान्त कोई त्रुटि/गलती पाये जाने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

iii. योगदान के पश्चात् रू० 1,000/- (एक हजार रुपये) का 02 (दो) Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति (सक्षम प्राधिकार) के साथ एकरारनामा करेंगे।

iv. यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

v. यह नियोजन पूर्णत: संविदा के आधार पर सम्प्रति अधिकतम 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।

vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

viii. उक्त चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. सभी नवनियोजित District Consultant-QA को एकमुश्त मानदेय रू० 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा।

3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/3328/2018 (Part-I)/6221 पटना, ***दिनांक:*** 02/12/2020

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-QA/ राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट *www.statehealthsocietybihar.org* पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक